"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 26 अगस्त 2016—भाद्र 4, शक 1938

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 13 मई 2016

क्रमांक 776/619/अव./2011/1-8/स्था.—श्री जी.एल.सांकला, अवर सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग को दिनांक 18-05-2016 से 25-05-2016 तक 08 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जी. एल. सांकला, आगामी आदेश तक अवर सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.

3. अवकाश अवधि में श्री जी. एल. सांकला को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. एल. सांकला अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 13 मई 2016

क्रमांक 780/01/अव./2011/1-8/स्था.—श्री कमर अली, अवर सचिव, गृह विभाग को दिनांक 23-05-2016 से 17-06-2016 तक 26 दिवस का (दिनांक 21, 22-05-2016 एवं 18, 19-06-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री कमर अली आगामी आदेश तक अवर सचिव, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री कमर अली को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कमर अली अवकाश पर नही जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 17 मई 2016

क्रमांक 784/624/अव./2010/1-8/स्था.—श्री एल. डी. चोपड़े, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 16-05-2016 से 28-05-2016 तक 13 दिवस का (दिनांक 14, 15, 29-05-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एल. डी. चोपड़े आगामी आदेश तक अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री एल. डी. चोपड़े को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एल. डी. चोपड़े अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 17 मई 2016

क्रमांक 786/1314/अव./2012/1-8/स्था.—श्री पी. के. जनवदे, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 28-05-2016 से 10-06-2016 तक 14 दिवस का (दिनांक 29-05-2016 एवं 11, 12-06-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पी. के. जनवदे आगामी आदेश तक विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री पी. के. जनवदे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी. के. जनवदे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 18 मई 2016

क्रमांक 788/425/अव./2015/1-8/स्था.—डॉ. सुरेन्द्र दुबे, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, संस्कृति विभाग को दिनांक 23-05-2016 से 03-06-2016 तक 12 दिवस का (दिनांक 21, 22-05-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर डॉ. सुरेन्द्र दुबे आगामी आदेश तक विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, संस्कृति विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में डॉ. सुरेन्द्र दुबे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. सुरेन्द्र दुबे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 27 मई 2016

क्रमांक 792/1113/अव./2006/1-8/स्था.—श्री सुनील विजयवर्गीय, अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग को दिनांक 23-05-2016 से 28-05-2016 तक 06 दिवस का (दिनांक 21, 22, 29-05-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सुनील कुमार विजयवर्गीय आगामी आदेश तक अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री सुनील विजयवर्गीय को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुनील विजयवर्गीय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 27 मई 2016

क्रमांक 794/3253/अव./2004/1-8/स्था.—श्री एम. एन. राजुरकर, अवर सचिव, वन विभाग को दिनांक 09-05-2016 से 13-05-2016 तक 05 दिवस का (दिनांक 08, 14, 15-06-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एम. एन. राजुरकर आगामी आदेश तक अवर सचिव, वन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री एम. एन. राजुरकर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. एन. राजुरकर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 27 मई 2016

क्रमांक 796/339/अव./2014/1-8/स्था.—श्री रामलाल खैरवार, स्टाफ आफिसर, प्रमुख सचिव, वन विभाग को दिनांक 22-04-2016 से 13-05-2016 तक 22 दिवस का (दिनांक 14, 15-05-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री रामलाल खैरवार आगामी आदेश तक स्टाफ आफिसर, प्रमुख सचिव, वन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री रामलाल खैरवार को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रामलाल खैरवार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 27 मई 2016

क्रमांक 800/2459/अव./2014/1-8/स्था.—श्री आनंद राम रात्रे, उप संचालक (रा.वि.से.) मुख्यमंत्री सचिवालय को दिनांक 25-04-2016 से 13-05-2016 तक 19 दिवस का (दिनांक 24-04-2016 एवं 14, 15-05-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री आनंद राम रात्रे आगामी आदेश तक उप संचालक, मुख्यमंत्री सचिवालय के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री आनंद राम रात्रे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आनंद राम रात्रे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तीरथ प्रसाद लड़िया, अवर सचिव.

कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 29 जुलाई 2016

क्रमांक 11617/एफ-8/89/PMFBY/2016/14-2/स्था.—विभाग द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) अंतर्गत खरीफ 2016 हेतु जारी अधिसूचना क्र. 11353 दिनांक 21-07-2016 के परिशिष्ट-1 में आयुक्त, भू-अभिलेख के पत्र क्र./2998 एवं 3006/आ.भू.अ./सां./फ.क.प्र./2016 दिनांक 29-07-2016 द्वारा प्रस्तुत संशोधित प्रस्ताव अनुसार जिला, तहसील एवं राजस्व निरीक्षक मण्डलवार (आर.आई.सर्किल) निम्नानुसार ग्राम पंचायतों को सम्मिलित/विलोपित करते हुए एतद्द्वारा संशोधित अधिसूचना जारी की जाती है :—

1. जिला-राजनांदगांव, तहसील-खैरागढ़, आर.आई.सर्किल-खैरागढ़ से संबंधित तालिका में ग्राम पंचायतों यथा-एटिकसा, अछोली, भरदाकला, बाजगुडा, बिडौरी, भोथी, धनगांव, जुनवनी, खजरी, कुलीकशा, केशला, कुकुरमुड़ा, करमतरा, भुतेडा, मंडला, पांडूका, सर्रागोंदी, सोनभट्हा, सोनपुर, सिंघौरी, शेरगढ़ में पूर्व अधिसूचित फसल के अतिरिक्त धान सिंचित तथा ग्राम पंचायत काचरी में धान असिंचित फसल को अधिसूचित किया जाता है.

2. जिला-राजनांदगांव, तहसील-छुईखदान, आर.आई.सर्किल-गंडई से संबंधित तालिका में ग्राम पंचायतों यथा-सहसपुर, दरबानटोला, अचानकपुर, ठाकुरटोला, खौड़ा, नादिया, भुरभुसी, कालेगोन्दी, चकनार, कृतबांस, जीराटोला, गर्रा, मुण्डाटोला, दुल्लापुर, लालपुर एवं चिलगुड़ा को धान सिंचित तथा ग्राम पंचायत पेन्दरवानी एवं बागुर को धान सिंचित एवं धान असिंचित फसल के अंतर्गत जोड़ा जाता है. उपरोक्त ग्राम पंचायतों में पूर्व में अधिसूचित फसले यथावत् रहेगी.

3. जिला-राजनांदगांव, तहसील-छुईखदान, आर.आई.सर्किल-छुईखदान से संबंधित तालिका में ग्राम पंचायतों यथा-उदान, जंगलपुर, खैरनवापारा, खैरबना, बाईकटोरी, बीरूटोला, कोहलाटोला, लंझियाटोला, भोरमपुर, भार्दागोंद, पंडरिया, खुदेलीखुर्द, आमाघाट, बोरई एवं सल्हेकसा को धान सिंचित फसल के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है. शेष अधिसूचित फसलें यथावत् रहेंगी.

4. जिला-राजनांदगांव, तहसील-डोंगरगढ़, आर.आई.सर्किल-लालबहादुर नगर के अंतर्गत दर्शित तालिका में अधिसूचित ग्राम पंचायत-कारूटोला, भगवानटोला, मोहनपुर, पीटेपानी, रामपुर, मक्काटोला, सेंदरी, चिद्दो, बिच्छीटोला, झंडातालाब एवं पिनकापार में पूर्व अधिसूचित फसल के अतिरिक्त धान सिंचित फसल को अधिसूचित किया जाता है.

5. जिला-राजनांदगांव, तहसील-खैरागढ़, आर.आई.सर्किल-पाड़ादाह से संबंधित तालिका में ग्राम पंचायतों यथा-भरतपुर, बरबसपुर, बेंद्रीडीह, चंगुर्दा, चिचोला, गातापारजंगल, गर्रापाट, गुमानपुर, गातापारकला, कटंगीखुर्द, कटंगीकला, कोडेनवागांव, करेला, लछना, महरूमकला, मरकामटोला, प्रकाशपुर, पिपलाकछार, रूसे, सांकरा, सिरसाही, साल्हेभर्री, तुलसीपुर, नवागांव कंवर पूर्व अधिसूचित फसल के अतिरिक्त धान सिंचित फसल को अधिसूचित किया जाता है.

6. जिला-राजनांदगांव, तहसील-राजनांदगांव, आर.आई.सर्किल-घुमका से संबंधित तालिका में ग्राम पंचायत तिलई को धान सिंचित तथा ग्राम पंचायत जरही को धान असिंचित फसल के अंतर्गत शामिल किया जाता है. शेष अधिसूचित फसलें यथावत् रहेंगी.

7. जिला-राजनांदगांव, तहसील-डोंगरगांव, आर.आई. सर्किल-तुमड़ीबोड से संबंधित तालिका में ग्राम पंचायत-बनभेरी, ओडारबांध तथा तिलईवार में पूर्व अधिसूचित फसलों के अतिरिक्त धान सिंचित फसल को अधिसूचित किया जाता है.

8. जिला-राजनांदगांव, तहसील-राजनांदगांव, आर.आई.सर्किल-राजनांदगांव-1 की तालिका में ग्राम पंचायत जोरातराई (ब) में धान सिंचित फसल को सम्मिलित किया जाता है. शेष अधिसूचित फसल यथावत् रहेंगी.

9. परिशिष्ट-1 के पृष्ठ क्र. 77 में जिला-बेमेतरा, तहसील-बेरला, आर.आई सर्किल-बेरला में सोयाबीन फसल के अंतर्गत सरल क्र. 44 में अंकित भिलौरी ग्राम पंचायत को विलोपित किया जाता है.

10. परिशिष्ट-1 के पृष्ठ क्र. 78 में जिला-बेमेतरा, तहसील-बेरला, आर.आई. सर्किल-आनंदगांव में अरहर फसल के अंतर्गत सरल क्र. 25 में अंकित सांकरा ग्राम पंचायत को विलोपित किया जाता है.

11. परिशिष्ट-1 के पृष्ठ क्र. 79 में जिला-बेमेतरा, तहसील-नवागढ़, आर.आई. सर्किल-नवागढ़ में सोयाबीन फसल के अंतर्गत सरल क्र. 32 में अंकित ग्राम पंचायत अंधियारखोर को जोड़ा जाता है.

पूर्व में जारी अधिसूचना की शेष शर्तें यथावत् रहेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा अदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, संयुक्त सचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2016

क्रमांक एफ-1-08/2016/10-भा.व.से.—राज्य शासन एतद् द्वारा श्री रमेश कुमार जांगड़े (रा.व.से. 2004) उप वनमण्डलाधिकारी, पश्चिम कोण्डागांव को प्रभारी वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल दन्तेवाड़ा के पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है.

नया रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2016

क्रमांक एफ-1-08/2016/10-भा.व.से.—राज्य शासन एतद् द्वारा श्री अमिताभ बाजपेयी (भा.व.से. 2007) वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल बिलासपुर को छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम अंतर्गत मण्डल प्रबंधक, कोटा पंडरिया परियोजना, बिलासपुर के पद पर, प्रतिनियुक्ति पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है.

नया रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2016

क्रमांक एफ-1-08/2016/10-भा.व.से.—राज्य शासन एतद् द्वारा श्री आशुतोष मिश्रा (भा.व.से. 1999) वन संरक्षक, वन प्रबंधन सूचना प्रणाली वनमण्डल, रायपुर को छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, रायपुर अंतर्गत क्षेत्रीय महाप्रबंधक, छ.ग. राज्य वन विकास निगम, रायपुर के पद पर, प्रतिनियुक्ति पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है.

नया रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2016

क्रमांक एफ-1-08/2016/10-भा.व.से.—राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित भारतीय वन सेवा अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष दर्शाए गए नवीन पदस्थापना पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :—

क्र.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री आर. के. तिवारी (1999)	वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल कोरिया	वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल मुंगेली
2.	श्री एस. के. पैकरा (2000)	वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल दुर्ग	वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल बिलासपुर
3.	श्री अनुराग श्रीवास्तव (2004)	वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल जगदलपुर	वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल मरवाही
4.	श्री राजू अगासिमनी (2006)	मण्डल प्रबंधक, वन विकास निगम, बिलासपुर.	वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल जगदलपुर (प्रतिनियुक्ति से वापस लेते हुए)
5.	श्री इमोतेमसु एओ(2010)	वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल मरवाही	वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल कोरिया
6.	श्रीमती विजया विनोद कुर्रे (2011)	वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल मुंगेली	वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल रायगढ़

नया रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2016

क्रमांक एफ-1-08/2016/10-भा.व.से.—राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित भारतीय वन सेवा अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष दर्शाए गए नवीन पदस्थापना पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :—

क्र.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री मनोज कुमार पाण्डेय (2007)	उप निदेशक, इन्द्रावती टाईगर रिजर्व, बीजापुर.	वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल, जशपुर
2.	श्री रमेशचन्द्र दुग्गा (2007)	वनमण्डलाधिकारी, अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र सा.वा.व.मं., जगदलपुर.	वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल, दक्षिण कोण्डागांव.
3.	श्री के.आर. बढ़ई (2007)	वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल दन्तेवाड़ा	वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल, सुकमा.

नया रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2016

क्रमांक एफ-1-06/2016/10-भा.व.से.—राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित भारतीय वन सेवा अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष दर्शाए गए नवीन पदस्थापना पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	नवीन पदस्थापना (4)
1.	श्री अभय कुमार श्रीवास्तव (2002)	उप वन संरक्षक (सत./शिका.) एवं जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छ.ग., रायपुर.	वन संरक्षक (प्रशा./अराज.) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छ.ग., रायपुर.
2.	श्री राजेश पाण्डेय (2002)	वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल रायगढ़	वन संरक्षक (प्रशा.राज./सम.) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छ.ग., रायपुर.

नया रायपुर, दिनांक 1 अगस्त 2016

क्रमांक एफ-1-03/2016/10-भा.व.से.—राज्य शासन एतद्द्वारा, डॉ. बी. एन. द्विवेदी (भा.व.से. 1980), प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीवन प्रबंधन और जैव विविधता संरक्षण-सह-मुख्य वनजीवन वार्डन) को स्थानांतरित करते हुए प्रधान मुख्य वन संरक्षक (औषधीय पौधे एवं परंपरागत वानिकी ज्ञान) तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य वनौषधि पादप बोर्ड, रायपुर (P.C.C.F. Medicinal Plants and Traditional Forestry Knowledge & C.E.O. Medicinal Plant Board, Raipur) के पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है.

2.　　श्री आर. के. सिंह (भा.व.से. 1983), अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छ.ग., रायपुर को प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वेतन बैण्ड HAG+75500-80000 GP : Nil) के पद पर पदोन्नत करते हुए प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीवन प्रबंधन और जैव विविधता संरक्षण-सह-मुख्य वनजीवन वार्डन) के पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है.

नया रायपुर, दिनांक 5 अगस्त 2016

क्रमांक एफ-1-08/2016/10-भा.व.से.—राज्य शासन एतद् द्वारा, श्री अनिल सोनी, भा.व.से. (2001) वन संरक्षक, (प्रशा.राज./सम.) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ रायपुर के प्रभार से मुक्त करते हुए प्रभारी संचालक सह वनमण्डलाधिकारी, जंगल सफारी, रायपुर (छ.ग.) का प्रभार यथावत रखा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, प्रमुख सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2016

क्रमांक एफ-1-06/2016/10-भा.व.से.—राज्य शासन एतद् द्वारा उप वन संरक्षक स्तर के निम्नांकित भारतीय वन सेवा अधिकारियों को वन संरक्षक (PB 4 : Rs. 37400-67000, plus Grade Pay Rs. 8900/-) के पद पर पदोन्नति प्रदान करता है :—

1. मोहम्मद शाहीद (2002)
2. श्री अभय कुमार श्रीवास्तव (2002)
3. श्री राजेश कुमार पाण्डेय (2002)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ईमिल लकड़ा, संयुक्त सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 29 जुलाई 2016

क्रमांक एफ 7-43/2016/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उप धारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 865/570/32/04 रायपुर दिनांक 23 जुलाई, 2004 द्वारा गठित तखतपुर निवेश क्षेत्र में नीचे अनुसूची-1 में दिये गये क्षेत्र को अपवर्जित करती है.

अनुसूची-1

तखतपुर निवेश क्षेत्र से अपवर्जित किया गया क्षेत्र

दक्षिण में : ग्राम बरेला की दक्षिणी सीमा तक.

अनुसूची-2

तखतपुर निवेश क्षेत्र की पुनर्गठित सीमाएं

उत्तर में : ग्राम निगारबंद, पण्डरिया, टिहुलाडीह, नगोई एवं कुंवा ग्राम की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम कुंवा, जरौंधा, अरईबंद एवं गुनसरी ग्राम की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम गुनसरी, मोढ़े, बेलसरी एवं तखतपुर ग्राम की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम तखतपुर एवं निगारबंद ग्राम की पश्चिमी सीमा तक.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 05 अगस्त 2016

क्रमांक एफ 11-3/2013/मबावि/50.—राज्य शासन एतद्द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 4 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कॉलम 04 में दर्शित प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी को अध्यक्ष के रूप में अधिसूचित करते हुए तथा राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा अनुसार चयनित सदस्य/सदस्यों को सम्मिलित करते हुए कॉलम 3 में दर्शाए अनुसार क्षेत्र हेतु किशोर न्याय बोर्ड का निम्नानुसार पुनर्गठन करता है :—

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड	क्षेत्र/सम्मिलित जिले	किशोर न्याय बोर्ड के अध्यक्ष (प्रधान न्यायाधीश) का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अंबिकापुर	सरगुजा	श्री मोहित सिंह I Civil Judge Class-II cum-Judicial Magistrate First Class अंबिकापुर.

No. F 11-3/2013/MBV/50.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of the section 4 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act 2015, the State Government hereby reconstitutes the Juvenile Justice Board by notifying JMFC, mentioned in the column 4 as chairperson and Social worker/workers duly selected by the State level selection committee as members for the are a mentioned in the column No. 3.

S.No. (1)	Name of the Juvenile Board (2)	Area/Revenue Distt. (3)	Name of the Chairman (Principal Magistrate) of the Juvenile Justice Board (4)
1.	Ambikapur	Surguja	Shri Mohit Singh 1 Civil Judge Class-II cum Judicial Magistrate First Class Ambikapur

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कबीरधाम, दिनांक 2 अगस्त 2016

क्रमांक/265/रीडर-3/भू-अर्जन/2016.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	घोघराकला प.ह.नं. 16	0.178	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव.	घोघरा से सिरमी मार्ग के हाफ नदी पर पुल मय पहुंच मार्ग व्यपवर्तन योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय देवांगन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 जुलाई 2016

क्रमांक 12161/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	भेड़ीकोना प.ह.नं. 18	0.701	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 06 नंदेलीभाठा, सक्ती.	मिनीमाता हसदेव बांगो परियोजना अंतर्गत भेड़ीकोना एनीकट निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 जुलाई 2016

क्रमांक 12163/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	अमलीडीह प.ह.नं. 14	0.778	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 06 नंदेलीभाठा, सक्ती.	मिनीमाता हसदेव बांगो परियोजना अंतर्गत भेड़ीकोना एनीकट निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 जुलाई 2016

क्रमांक 12165/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	हसौद प.ह.नं. 29	0.194	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 06 नंदेलीभाठा, सक्ती.	मिनीमाता हसदेव बांगो परियोजना अंतर्गत सोन नदी पर गुजियाबोड़ एनीकट निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 जुलाई 2016

क्रमांक 12167/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	गुजियाबोड़ प.ह.नं. 21	0.184	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 06 नंदेलीभाठा, सक्ती.	मिनीमाता हसदेव बांगो परियोजना अंतर्गत सोन नदी पर गुजियाबोड़ एनीकट निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 जुलाई 2016

क्रमांक 12169/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	देवरघटा प.ह.नं. 22	0.104	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 06 नंदेलीभाठा, सक्ती.	मिनीमाता हसदेव बांगो परियोजना अंतर्गत बरदुली वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 जुलाई 2016

क्रमांक 12171/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	डड़ई प.ह.नं. 04	0.045	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 06 नंदेलीभाठा, सक्ती.	मिनीमाता हसदेव बांगो परियोजना अंतर्गत अचानकपुर माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 जुलाई 2016

क्रमांक 12173/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	कोटेतरा प.ह.नं. 13	0.097	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 06 नंदेलीभाठा, सक्ती.	मिनीमाता हसदेव बांगो परियोजना अंतर्गत मुरलीडीह वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 जुलाई 2016

क्रमांक 12175/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	गुजियाबोड़ प.ह.नं. 21	0.045	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 06 नंदेलीभाठा, सक्ती.	मिनीमाता हसदेव बांगो परियोजना अंतर्गत भनेतरा माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 जुलाई 2016

क्रमांक 12177/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	देवरी प.ह.नं. 02	0.097	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 06 नंदेलीभाठा, सक्ती.	मिनीमाता हसदेव बांगो परियोजना अंतर्गत देवरी माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 जुलाई 2016

क्रमांक 12179/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	अरसिया प.ह.नं. 16	0.036	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 06 नंदेलीभाठा, सक्ती.	मिनीमाता हसदेव बांगो परियोजना अंतर्गत अरसिया माइनर 1 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 जुलाई 2016

क्रमांक 12181/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	सेन्दरी प.ह.नं. 17	0.081	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 06 नंदेलीभाठा, सक्ती.	मिनीमाता हसदेव बांगो परियोजना अंतर्गत सेन्दरी माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 जुलाई 2016

क्रमांक 12183/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	बरदुली प.ह.नं. 19	0.258	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 06 नंदेलीभाठा, सक्ती.	मिनीमाता हसदेव बांगो परियोजना अंतर्गत बोईरडीह माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 जुलाई 2016

क्रमांक 12185/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	रायपुरा प.ह.नं. 04	0.246	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 06 नंदेलीभाठा, सक्ती.	मिनीमाता हसदेव बांगो परियोजना अंतर्गत तांदुलडीह माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 जुलाई 2016

क्रमांक 12187/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	दतौद प.ह.नं. 14	0.113	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 06 नंदेलीभाठा, सक्ती.	मिनीमाता हसदेव बांगो परियोजना अंतर्गत खैरागढ़ सबमाइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 जुलाई 2016

क्रमांक 12191/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	कुटराबोड़ प.ह.नं. 19	0.089	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 06 नंदेलीभाठा, सक्ती.	मिनीमाता हसदेव बांगो परियोजना अंतर्गत बरदुली वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 13 अगस्त 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 18/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-तमनार
- (ग) नगर/ग्राम-डोलेसरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-179.724 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
403/3	0.085
625/1	0.421
686/2	0.405
687/3	0.365
413	0.401
387/1/3	0.312
513/3	0.057
589/3	0.045
772/3	0.051
434/4	0.121
513/4	0.057
597/4	0.047
772/4	0.051
529/1	0.242
766/1	0.125
404/1	0.599
508/2क/1	0.084
542/802/1	0.142
419/1	0.262

(1)	(2)	(1)	(2)
647/2	0.162	753/1	0.085
507/3	0.130	383/2/3	0.008
400/2	0.085	479/3	0.023
625/2	0.607	574/2	0.042
608	0.117	756/3	0.098
732	0.352	387/1/4	0.313
690	0.837	479/4	0.024
434/3	0.122	589/4	0.046
517/3	0.065	756/4	0.098
597/3	0.048	471/1	0.276
382/1/4	0.248	525/2	0.405
460/2/4	0.083	781/1	0.028
517/4	0.024	466/2ग	0.044
599/2	0.057	542/5	0.061
465/1	0.093	791/1	0.101
630/1ख	0.123	564	0.129
781/2	0.077	473/2	0.170
563/1क	0.085	622/3	0.050
535/2क/1	0.046	633	0.239
542/802/2	0.267	434/2	0.121
563/1ख	0.085	538/2	0.068
714/2	0.210	597/2	0.047
578	0.089	479/2	0.023
508/2ख	0.062	556/8	0.035
580/1	0.214	770/4	0.073
609	0.235	770/1	0.21
753/2	0.194	701/2	0.282
382/1/3	0.268	388/1	0.449
460/2/3	0.083	755	0.328
538/3	0.068	725/2	0.202
610/3	0.045	451/8 घ	0.125
383/2/4	0.012	622/2	0.051
470/2	0.036	757	0.384
538/4	0.067	572/2	0.247
610/4	0.046	787	0.186
467/1	0.109	395/1	0.159
389/2	0.093	429/2ख	0.024
687/2	0.194	748/2	0.093
563/2क	0.083	604	0.053
542/2	0.089	784	0.138
542/803	0.049	714/1	0.632
563/2ख	0.083	488/2	0.127
388/3	0.089	430/2	0.202
595/2	0.243	451/6ख	0.122
535/2ख	0.057	473/1	0.170
607/1	0.141	686/3	0.101
607/2	0.142	451/2 क	0.189

(1)	(2)	(1)	(2)
525/7	0.089	749/3	0.145
795/8	0.113	572/7	0.028
699/2	0.203	793/2	0.097
470/1	0.036	665/2	0.202
460/2/2	0.083	739	0.024
599/1	0.056	769/2	0.020
772/2	0.05	553	0.057
624/3	0.041	458/1	0.486
773/3	0.057	750	0.450
496/2	0.069	496/1	0.069
701/3	0.281	448/2क	0.101
502	0.802	451/8ग	0.13
728	0.016	615	0.093
448/2 ख	0.525	449/2	0.178
451/6ग	0.122	525/3	0.243
699/2	0.202	762/2	0.093
749/1	0.126	571	0.02
572/6	0.049	752	0.239
410	0.186	517/2	0.024
587	0.445	589/2	0.046
521/2ख	0.052	756/2	0.099
763/2ख	0.040	556/2	0.085
493	0.057	626/2ड	0.024
697	0.219	535/2क/5	0.071
438	0.097	801/2	0.101
495	0.299	508/2क/3	0.143
446	0.008	746	0.380
451/8क	0.081	709/1	0.035
507/1	0.259	451/8ख	0.081
450/1	0.113	507/2	0.129
521/2क	0.053	717/3	0.080
525/8	0.121	749/4	0.077
795/9	0.134	392	0.028
710/2	0.200	794	0.089
513/2	0.057	451/2ख	0.188
583/2/2	0.012	740	0.316
610/2	0.046	532/2	0.457
537/2	0.092	558	0.198
626/2ख	0.040	713	0.247
577	0.081	488/1	0.128
801/1	0.304	440	0.053
466/2ड	0.089	448/2ग	0.218
534	0.324	521/6क	0.093
708	0.445	618	0.174
451/6क	0.121	429/2क	0.025
521/6ख	0.091	525/4	0.162
717/2	0.244	763/2क	0.045

(1)	(2)	(1)	(2)
451/4	0.373	753/4	0.085
748/4	0.093	548/1	0.247
417	0.809	468/1	0.037
546/2	0.093	403/2	0.162
670/2	0.195	754	0.243
785	0.356	387/1/1	0.312
390	0.393	513/1	0.056
727	0.243	589/1	0.045
796/2	0.053	772/1	0.050
429/4	0.049	536/4	0.231
763/1	0.085	798/2	0.283
607/5	0.142	706	0.186
503/2	0.114	387/2	0.526
758/5	0.024	419/2	0.268
773/2	0.059	736/1	0.307
555/2	0.150	466/2 ख	0.022
412/4	0.189	766/3	0.126
481	0.097	565/2	0.089
726/2	0.255	531/9	0.202
648/2	0.405	508/1	0.048
395/3	0.159	774	0.664
480/1/1	0.087	684/4	0.157
648/1	0.040	762/4	0.097
383/1/1	0.008	769/1	0.020
479/1	0.023	758/3	0.178
574/1	0.043	666/2	0.057
756/1	0.098	556/7	0.035
536/2	0.101	508/2क/2	0.085
712/1	0.105	780	0.417
703	0.214	766/4	0.121
512	0.259	547/7	0.170
747/5	0.065	783/4	0.166
724	0.271	548/2	0.324
800/1	0.077	477/2	0.065
560/4	0.126	547/2	0.065
449/4	0.101	431/2	0.405
531/3	0.105	434/1	0.122
466/1	0.045	517/1	0.061
715/2	0.137	597/1	0.048
684/2	0.526	709/3	0.034
521/4	0.105	573/1	0.184
763/4	0.085	798/3	0.162
457	0.138	460/1	0.607
572/4	0.004	469	0.073
556/5	0.085	423/2	0.247
466/2घ	0.045	736/2	0.239
758/2	0.405	412/3	0.185
560/1	0.129	584/2	0.809
547/4	0.101		

(1)	(2)	(1)	(2)
795/4	0.247	533/2/1	0.223
594/1	0.769	765	0.186
555/1	0.020	536/5	0.226
795/2	0.198	535/2क/4	0.035
684/5	0.134	626/2छ	0.024
762/1	0.093	445/3	0.049
769/4	0.020	549	0.267
721	0.227	546/1	0.093
671	0.129	445/1	0.162
624/2	0.040	542/4	0.101
535/2क/2	0.092	510/1	0.457
412/1	0.184	675/2	0.109
430/8	0.020	430/3	0.202
547/9	0.129	730	0.170
547/13	0.681	705	0.097
677	1.141	745	0.134
505	0.138	747/11	0.064
547/3	0.109	441	0.210
382/1/1	0.248	718/3	0.089
460/2/1	0.082	451/3	0.145
538/1	0.068	565/1	0.089
610/1	0.045	769/3	0.021
725/1	0.248	748/1	0.093
593/2	0.016	630/12	0.057
799/2	0.696	635	0.081
626/1	0.291	533/2/2	0.222
747/2	0.287	613/2	0.114
423/3	0.129	556/1	0.182
523/2	0.061	626/2क	0.046
557	0.951	669/2	0.405
758/4	0.405	743/1	0.180
800/2	0.405	570/1	0.170
619/2	0.105	483/3	0.008
747/9	0.470	573/2	0.184
630/4	0.243	508/2क/5	0.032
568	0.231	786	0.263
429/3	0.049	393/2	0.036
522	0.024	559	0.466
763/3	0.085	560/3	0.125
521/1	0.105	707	0.445
628/1	0.030	444/1	0.024
629/2	0.041	795/7	0.267
733	0.486	723/2	0.105
570/2	0.170	430/4	0.204
537/1	0.092	795/5	0.268
624/1	0.040	779	0.364
435/3	0.049	777	0.061
468/3	0.036	747/13	0.068

(1)	(2)
430/6	0.057
704	0.095
453	0.097
748/3	0.096
429/1	0.055
525/1	0.277
630/13	0.047
629/1	0.040
542/1/2	0.057
492/1	0.073
556/6	0.085
773/1	0.060
463	0.049
743/2	0.279
542/1/1	0.057
528	0.194
593/5	0.012
626/2घ	0.040
405	0.081
404/2	0.599
576	0.096
766/2	0.077
797/1	0.497
455/1	0.239
783/1	0.356
729/2	0.238
430/5	0.061
795/6	0.137
575/5	0.276
711/1	0.809
630/11	0.238
527/2	0.063
751	0.405
521/3	0.105
762/3	0.093
451/1	0.339
686/1	0.343
631	0.093
560/2	0.162
483/2	0.033
734	0.490
556/10	0.035
435/2	0.433
487/1	0.081
483/1	0.032
613/1	0.113
536/3	0.198
712/5	0.104
626/2च	0.040
445/2	0.117
404/3	0.607
412/5	0.184
766/5	0.049
694/2	0.191
501/1	0.075
783/2	0.089
783/3	0.085
409	0.097
395/4	0.160
403/1ख	0.809
626/2ग	0.079
423/1	0.381
729/1	0.239
480/1/2	0.087
501/2	0.075
665/1	0.203
462/2	0.033
638/2	0.045
775/2	0.166
415	0.142
432	0.223
691	0.632
591/1	0.024
649/9	0.024
737/1	0.162
731/3	0.077
396/1	0.947
400/1	0.089
447	0.388
456/4	0.057
472/2	0.116
491/3	0.008
530/3	0.049
550/2	0.069
579/1	0.041
606/2	0.032
693/2	0.263
611	0.065
443	0.376
718/1	0.089
535/2क/3	0.035
535/1	0.020
523/1	0.057
444/2	0.025
480/2क	0.04

(1)	(2)
510/2	0.457
719	0.341
475/2	0.032
712/3	0.045
789	0.121
420	0.21
433	0.283
435/1क	0.125
605/1	0.025
649/1	0.04
737/3	0.028
731/4	0.146
398/2	0.300
403/1क	3.619
449/1	0.987
498/1	0.032
474/2	0.075
504/2	0.057
530/4	0.230
550/4	0.052
582/2	0.021
667/2	0.567
720/2	0.324
797/2	0.340
454	0.231
698	0.340
575/1	0.039
722	0.539
675/1	0.119
450/2	0.118
480/4ख	0.032
475/3	0.065
439	0.202
593/4	0.032
742/2	0.186
397	0.717
525/5	0.405
516	1.441
561/1	0.102
637/1	0.048
692/1	0.194
731/1	0.404
389/2	0.121
398/3	0.061
431/1	0.764
456/1	0.125
498/3	0.057
486/2	0.211
506/1	0.004
543/1	0.550
550/6	0.052
590/2	0.089
672/2	0.110
738/2	0.365
406	0.101
588	0.182
701/4	0.281
624/4	0.061
466/2क	0.022
723/1	0.049
455/2	0.239
480/3	0.061
593/3	0.028
427/2	0.053
603	0.045
742/3	0.162
407/2	0.385
525/6	0.182
614	0.089
566/1	0.467
649/4	0.344
716/1	0.247
731/2	0.162
394/1	0.426
402	0.231
437	1.376
456/3	0.049
464/1	0.109
491/1	0.057
530/1	0.384
544	0.028
567	0.372
596/1	0.053
685/1	0.616
741/1	0.020
744	0.053
456/6	0.057
527/1	0.062
490/1	0.060
649/6	0.227
692/2	0.190
737/2	0.158
536/1	0.174
694/1	0.255
388/2	0.449

(1)	(2)	(1)	(2)
584/1	0.405	695	0.279
702	0.271	791/2	0.142
749/2	0.348	487/2	0.061
519	0.405	449/3	0.053
497/1	0.057	498/4	0.073
561/5	0.101	540/1	0.219
605/3	0.028	605/2	0.028
779	0.158	669/1क	0.121
701/1	0.141	716/3	0.129
747/10	0.170	427/1	0.053
545	0.932	585/1	0.357
391	0.032	712/4	0.057
472/1	0.115	532/1	0.405
504/1	0.081	622/1	0.101
550/1	0.077	710/1	0.201
582/1	0.162	451/5	0.243
606/1	0.102	476/3	0.053
634	0.081	540/4	0.178
693/1	0.065	585/2क	0.154
741/2	0.158	649/5	0.344
477/1	0.064	531/8	0.263
381/3	0.032	747/1	0.222
498/2	0.057	376	0.498
476/2	0.057	646	0.065
591/2	0.024	461	0.024
649/10	0.024	486/1	0.210
716/2	0.057	530/2	0.644
632/1	0.045	550/5	0.057
583	0.218	592	0.040
712/2	0.198	628/2	0.031
388/4	0.089	672/1	0.109
595/1	0.364	720/1	0.352
709/2	0.441	685/2	0.785
448/1	0.101	489	0.125
521/5	0.478	456/2	0.291
540/2	0.328	520/1	0.101
561/3	0.227	561/2	0.101
637/2	0.049	649/2	0.227
790	0.117	669/1ग	0.114
736/4	0.075	718/1	0.089
747/12	0.049	462/1	0.036
627	0.166	593/1	0.089
407/1	0.048	742/1	0.526
474/1	0.075	562	0.243
506/2	0.004	670/1	0.39
550/3	0.049	717/1	0.324
590/1	0.089	451/7	0.411
620	0.267	490/2	0.065
667/1	0.566		

(1)	(2)	(1)	(2)
541	0.077	776	0.287
591/3	0.025	526	0.437
649/8	0.024	619/1	0.105
630/1ड	0.060	404/5	0.607
747/6	0.081	539/1	0.335
518	0.874	767	0.34
759	0.441	515/3	0.176
464/2	0.110	531/6	0.057
491/2	0.109	630/7	0.129
543/2	0.437	683/4	0.445
579/2	0.040	648/3	0.405
596/2	0.121	715/1	0.429
630/2	0.046	533/1	0.340
685/3	0.121	687/1	0.121
738/1	0.299	531/5	0.040
468/2	0.036	607/6	0.038
494	0.024	630/9	0.061
503/1	0.109	683/5	0.223
666/1	0.142	747/14	0.223
395/2	0.101	416	0.656
430/7	0.113	525/11	0.121
552	0.721	598	0.279
471/2	0.275	799/1	0.340
531/2	0.700	430/1	0.085
630/1क	0.123	408	0.182
683/2	0.247	792	0.158
747/7	0.061	428	2.395
684/3	0.234	497/2	0.149
796/1	0.332	561/4	0.101
547/12	0.494	591/4	0.024
515/2	0.173	649/7	0.025
607/4	0.066	436/1	0.371
630/8	0.141	572/1	0.533
638/1	0.093	758/1	0.482
736/5	0.075	404/6	0.263
412/2	0.184	764/1	0.930
525/10	0.101	465/2	0.093
414	0.575	515/4	0.174
798/1	0.801	531/7	0.250
688/2	0.405	630/10	0.234
768/4	0.121	747/3	0.242
778/2	0.170	684/1	0.299
426	0.336	795/1	0.182
476/4	0.056	547/1	0.243
540/6	0.121	726/1	0.263
585/3	0.085	580/2	0.215
649/3	0.344	630/1घ	0.113

(1)	(2)
632/1	0.045
701/5	0.14
747/15	0.081
475/1	0.093
525/12	0.154
761	0.162
424	1.084
668/1	0.203
539/3	0.324
422	0.817
499/2	0.121
540/3	0.182
566/2	0.092
605	0.028
669/1ख	0.170
436/2	0.370
572/3	0.089
393/1	0.032
404/7	0.526
418	0.210
467/2	0.105
480/4क	0.029
616	0.210
683/1	0.077
747/4	0.999
689	0.405
795/3	0.352
547/11	0.097
515/1	0.177
581/1	0.087
630/6	0.093
632/2	0.044
711/3	0.533
401	0.267
525/9	0.146
546/3	0.093
793/1	0.178
688/1	0.275
768/2	0.073
764/3	0.960
425	0.214
435/1ख	0.121
540/5	0.117
585/2ख	0.121
617	0.251
718/2	0.134
492/2	0.073
531/1	0.311
630/1ग	0.074
711/2	0.420
668/2	0.202
612	0.170
404/4	0.263
498/6	0.057
551	1.343
788	0.983
508/2क/6	0.040
537/4	0.092
770/2	0.118
458/2	0.055
458/4	0.056
458/5	0.056
458/6	0.055
547/5	0.032
411	0.437
466/2छ	0.044
670/3	0.169
531/4	0.214
630/3	0.028
711/4	0.331
768/1	0.073
676	0.450
753/3	0.243
520/2	0.101
682	0.559
539	0.332
466/2च	0.045
556/3	0.178
770/3	0.117
458/3	0.101
458/7	0.101
458/8	0.101
458/9	0.102
547/6	0.081
542/3	0.101
575/2	0.038
594/2	0.769
529/2	0.242
630/5	0.253
747/8	0.170
768/3	0.121
696	0.575
456/7	0.227

(1)	(2)
456/5	0.121
735	0.833
764/2	0.797
508/2क/4	0.071
556/4	0.093
773/4	0.028
500/1	0.199
500/2	0.200
500/3	0.199
500/4	0.200
547/8	0.097
775/1	0.162
624/5	0.061
666/3	0.263
581/2	0.087
683/3	0.222
430/9	0.085
554	0.210
782	0.279
498/5	0.073
442	1.250
760	0.295
778/1	0.178
537/3	0.092
556/9	0.089
773/5	0.029
777/1	0.227
771/2	0.226
771/3	0.227
771/4	0.227
547/10	0.040
736/3क	0.231
736/3ख	0.076
476/1	0.053
योग 908	179.724

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेलमंगई डी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नारायणपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

नारायणपुर, दिनांक 6 अगस्त 2016

क्रमांक/1930/भू-अर्जन/कले./2016.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-नारायणपुर
- (ख) तहसील-नारायणपुर
- (ग) नगर/ग्राम-नेलवाड़
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.89 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
23/1	0.62
27	2.02
28	1.25
योग 03	3.89

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-220/132 के.व्ही. विद्युत सब स्टेशन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, नारायणपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टामनसिंह सोनवानी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 10 अगस्त 2016

क्रमांक 12/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-सैदा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-26.825 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
37/4	0.020
37/9	0.202
37/6	0.162
37/7, 36/7	0.202
15/1	0.632
10/1, 11, 14/1	1.051
10/2, 12, 13, 14/2	0.670
374	0.049
4	0.049
47/1, 48/1	0.223
51/4	0.364
51/5	0.061
50/5	0.304
268/2	0.142
271	0.158
272/2	0.121
344	0.101
351/2	0.040
218	0.061
349/1	0.032
349/2	0.182
347/2	0.202
348	0.202
216	0.271
347/1	0.162
357/5	0.101
214/3	0.061
213/3	0.040
346	0.081
127/3	0.303
253	0.061
254/2	0.182
127/2	0.040
254/4	0.227
254/1	0.121
255	0.243
261/1	0.222
257/1	0.364
257/2	0.283
50/3	0.364
85/5	0.121
85/1	0.405
51/1	0.101
51/3	0.061
52/1	0.020
85/4	0.081
52/6	0.142
52/7	0.020
30/3	0.004
79/1	0.040
52/3	0.121
52/4	0.202
52/5	0.121
83/4	0.405
83/2	0.049
83/5	0.032
83/7	0.032
85/4	0.081
83/10	0.243
79/6	0.020
79/7	0.020
13	0.020
30/1	0.008
41/3, 40/2	0.040
41/4	0.073
37/1	0.028
231	0.101
37/2	0.028

(1)	(2)	(1)	(2)
232	0.081	262	0.526
350	0.413	261/2	0.061
36	0.008	269/1	0.526
35	0.020	271/2	0.040
32	0.012	272/1	0.202
33	0.012	275/3	0.202
30/2	0.008	275/1	0.372
30/4	0.004	275/2	0.040
347/4	0.041	276/2	0.283
347/3	0.283	274/4	0.142
357/1, 357/6	0.202	276/1	0.182
358/1	0.121	283	0.008
157/3	0.061	284	0.121
157/2	0.461	286/1	0.445
160	0.081	286/2	0.223
158	0.081	286/3	0.202
159	0.352	302/1	0.202
192	0.040	302/2	0.323
162	0.121	302/3	0.142
193	0.243	303	0.101
194/2	0.405	301/2	0.008
194/1	0.041	313/3	0.101
198/1	0.910	305/1	0.283
198/2	0.081	305/2	0.121
198/4	0.304	313/1	0.202
194/3	0.247	306/1	0.020
199/1	0.081	306/2	0.166
206/2	0.032	306/5	0.101
198/3	0.061	306/6	0.384
195/9	0.101	306/9	0.081
197/1	0.405	307	0.061
197/4	0.380	308	0.032
197/5	0.061	312/5	0.242
265/1	0.202	310	0.202
196	0.121	311/1	0.081
264	0.364	30/5	0.004
272/2	0.020	29	0.077
263/1	0.243	270	0.065
263/2	0.243	268/1	0.134
260/1	0.214	258	0.178
213/4	0.202	257/1	0.105
217	0.040	257/3	0.041
260/2	0.182	215	0.234
256/2	0.223	311/2	0.150
259/4	0.020	311/3	0.040
263/3	0.040	311/4	0.243
263/5	0.202		

	(1)	(2)
	311/5	0.081
योग	162	26.825

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 10 अगस्त 2016

क्रमांक 41/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-गोकुलपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-17.919 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
43/1	0.040
47	0.073
43/2	0.061
81/2	0.049
486	0.040
43/3	0.206
49/1	0.182
44	0.089
46	0.049
45	0.061
194	0.170
53/1, 53/2	0.170
53/4	0.061
55/2	0.138
55/3	0.020
528	0.049
498	0.134
499	0.121
502/3	0.024
496/1	0.405
497	0.056
496/2	0.247
496/3	0.142
495/1	0.142
495/2	0.012
81/1	0.020
495/3	0.365
494	0.081
493	0.089
492	0.081
162	0.109
155/1	0.024
163, 164/1	0.105
159	0.093
160	0.069
164/2	0.081
165	0.223
168, 193, 190/1	0.089
192	0.093
72/1	0.202
371/2	0.219
24/3	0.093
537/1	0.020
610/1	0.077
82	0.150
158	0.012
410/2	0.081
609	0.162
606/1, 608	0.073
606/2	0.020
603	0.040
604, 605	0.210
578/2	0.113
593	0.061
597	0.089
596	0.081
595	0.049
594	0.263
22/2	0.097
92/1	0.040

(1)	(2)
579/2	0.061
592/1	0.065
23/1	0.101
592/2	0.186
578/1	0.020
577	0.162
574	0.101
575/1	0.097
576	0.170
575/2	0.121
532	0.089
533	0.130
531	0.198
530/1	0.202
489/1	0.194
489/2	0.097
487/1	0.353
487/2	0.061
487/4	0.040
487/5	0.162
19/1	0.121
19/2	0.243
26/3	0.162
23/2	0.105
75/2	0.065
26/2	0.012
24/2	0.089
24/1	0.053
26/3	0.121
22/1	0.121
96	0.020
83	0.142
84	0.040
86/1	0.251
81/3	0.040
86/2	0.251
85	0.077
76/1	0.040
87	0.287
76/2, 77/2	0.040
92/2	0.020
89	0.020
75/1	0.081
88/2	0.283
88/1	0.097
72/2	0.206
176/1	0.024
203, 205, 191	0.227
204	0.089
202	0.129
201	0.061
206, 215, 216, 217, 218	0.547
249, 250, 251, 252	0.486
253, 254, 256, 257	0.243
269	0.190
369	0.445
378	0.223
377	0.142
360/1	0.405
376/1	0.129
371/1	0.219
354/1	0.040
372/2	0.324
354/2	0.081
351/3, 351/4, 353/2	0.194
350	0.036
372/1	0.263
573/1	0.065
573/2	0.012
530/2	0.142
527	0.174
161/1	0.077
161/2	0.081
490, 491	0.798
468, 467	0.061
योग 153	17.919

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 10 अगस्त 2016

क्रमांक 43/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-चोरभट्ठी खुर्द
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.659 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
627/1	0.024
627/2	0.016
628/2	0.012
630	0.008
631	0.008
632	0.024
633	0.101
650	0.012
634/1	0.178
705	0.049
634/2	0.040
616	0.032
620	0.045
654	0.121
617	0.065
618	0.016
619	0.190
613	0.036
649	0.121
662/1	0.016
652	0.049
665	0.032
701	0.020
702	0.012
663	0.053
664	0.061
666/2	0.170
668/1क	0.032
495	0.081
667/1	0.032
667/2	0.182
667/3	0.049
397	0.146
401/2	0.109
669/1	0.162
669/3	0.105
503	0.004
505	0.049
506	0.004
427	0.004
509/2	0.053
669/2	0.012
670	0.061
671	0.032
672	0.040
393	0.016
673	0.081
685	0.008
703	0.008
704	0.016
656	0.125
500	0.036
501/2	0.028
502	0.138
504	0.053
510/3	0.012
494	0.146
394	0.065
496	0.097
497	0.040
699	0.008
420	0.101
421	0.040
422/2	0.008
428	0.020
430	0.012
396	0.081
398	0.032
395	0.146
400	0.219
402/1	0.016
133/1	0.129
403	0.097
125/1	0.364
405	0.016
126	0.028
129	0.073
130/1	0.202
130/3	0.008
128	0.020
404/2ख	0.049
133/2	0.170
404/2घ	0.032
404/2च	0.045

	(1)	(2)
	404/2क	0.073
	127	0.032
	406/1	0.061
	406/2	0.040
योग	88	5.659

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) जिला-धमतरी

धमतरी, दिनांक 26 जुलाई 2016

क्रमांक 947/342/भू-अभि./हल्का पुनर्गठन/2016.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं सी.आर. प्रसन्ना, कलेक्टर, जिला धमतरी, एतद्द्वारा नगर पालिक निगम धमतरी में सम्मिलित ग्रामों के पटवारी हल्का पुनर्गठन के फलस्वरूप पुनर्गठित अ, ब पटवारी हल्कों को अंकों में क्रमांकित करते हुये तहसील धमतरी के पटवारी हल्कों को निम्न सूची में दर्शाये अनुसार क्रमांकित करता हूं.

सूची

अनु. क्र.	तहसील का नाम	रा.नि.मं. का नाम	वर्तमान पटवारी हल्का क्रमांक	नया पटवारी हल्का का क्रमांक व नाम	पटवारी हल्के में शामिल ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कैफियत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	धमतरी	भोथली	1	1 अमलीडीह	बागतराई	बागतराई	
2.		—,,—			मड़ईभाठा	मड़ईभाठा	
3.		—,,—			अमलीडीह	अमलीडीह	
4.		—,,—			मोखा	मड़ईभाठा	
5.		—,,—	2	2 रावां	रावां	रावां	
6.		—,,—			कुर्रा	कुर्रा	
7.		—,,—			भोथीपार	कुर्रा	
8.		—,,—	3	3 दरगहन	दरगहन	दरगहन	
9.		—,,—			रीवागहन	रीवागहन	
10.		—,,—	4	4 गुजरा	गुजरा	गुजरा	
11.		—,,—			डोमा	डोमा	
12.		—,,—	5	5 जुनवानी	जुनवानी	जुनवानी	
13.		—,,—			खम्हरिया	जुनवानी	
14.		—,,—			बिरेतरा	बिरेतरा	
15.		—,,—	6	6 डाही	डाही	डाही	
16.		—,,—			अंगारा	डाही	
17.		—,,—			हंकारा	हंकारा	
18.		—,,—			कसही	हंकारा	
19.		—,,—	7	7 सेमरा	सेमरा	सेमरा	
20.		—,,—			सेनचुवा	सेनचुवा	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
21.	धमतरी	भोथली	8	8 छाती	छाती	छाती	
22.		—,,—			बिजनापुरी	बिजनापुरी	
23.		—,,—			सरसोंपुरी	बिजनापुरी	
24.		—,,—	9	9 नवागांव	नवागांव	नवागांव	
25.		—,,—			देवरी	देवरी	
26.		—,,—			बोदाछापर	देवरी	
27.		—,,—	10	10 सिवनीखुर्द	सिवनीखुर्द	सिवनीखुर्द	
28.		—,,—			बारना	बारना	
29.		—,,—	11	11 दोनर	दोनर	दोनर	
30.		—,,—			सेमरा	सेमरा	
31.		—,,—	12	12 ढिमरटिकुर	ढिमरटिकुर	ढिमरटिकुर	
32.		—,,—			देवपुर	देवपुर	
33.		—,,—	13	13 उड़ेना	उड़ेना	उड़ेना	
34.		—,,—			झिरिया	झिरिया	
35.		—,,—	14	14 गागरा	गागरा	गागरा	
36.		—,,—			पीपरछेड़ी	पीपरछेड़ी	
37.		—,,—	15	15 पुरी	पुरी	पुरी	
38.		—,,—			बोड़रा	बोड़रा	
39.		—,,—			गोपालपुरी	बोड़रा	
40.		—,,—	16	16 लिमतरा	लिमतरा	लिमतरा	
41.		—,,—			धौराभाठा	धौराभाठा	
42.		—,,—			रावनगुड़ा	धौराभाठा	
43.		—,,—	17	17 सांकरा	सांकरा	सांकरा	
44.		—,,—			बोड़रा	बोड़रा	
45.		—,,—	18	18 भोथली	भोथली	भोथली	
46.		—,,—			कण्डेल	कण्डेल	
47.		—,,—	19	19 बलियारा	बलियारा	बलियारा	
48.		—,,—			डोड़की	डोड़की	
49.		—,,—	20 ब	20 शंकरदाह	शंकरदाह	शंकरदाह	
50.		—,,—			सेहराडबरी	सेहराडबरी	
51.		—,,—	21	21 सम्बलपुर	सम्बलपुर	सम्बलपुर	
52.		—,,—			परेवाडीह	परेवाडीह	
53.		—,,—	22	22 देमार	देमार	देमार	
54.		—,,—			तेलीनसत्ती	तेलीनसत्ती	
55.		—,,—			उसलापुर	तेलीनसत्ती	
56.		—,,—	23	23 कुरमातराई	कुरमातराई	कुरमातराई	
57.		—,,—			पीपरछेड़ी	पीपरछेड़ी	
58.		—,,—	24	24 तरसीवां	तरसीवां	तरसीवां	
59.		—,,—			भानपुरी	भानपुरी	
60.		—,,—	25	25 आमदी	आमदी	आमदी नगर पंचायत	
61.		—,,—			परसतराई	परसतराई	
62.		—,,—	26	26 लोहरसीं	लोहरसीं	लोहरसीं	
63.		—,,—			खरतुली	खरतुली	
64.		—,,—	27	27 पोटियाडीह	पोटियाडीह	पोटियाडीह	
65.		—,,—			मुजगहन	मुजगहन	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
66.	धमतरी	भोथली	28	28 अर्जुनी	अर्जुनी	अर्जुनी	
67.		—,,—			खपरी	खपरी	
68.		बठेना	20 अ	29 बठेना	बठेना	न.प.नि.धमतरी	
69.		—,,—	29 अ	30 हटकेशर	हटकेशर	न.प.नि. धमतरी	
70.		—,,—	29 ब	31 रत्नाबांधा	रत्नाबांधा	रत्नाबांधा	
71.		धमतरी 2	30	32 धमतरी	धमतरी	न.प.नि. धमतरी	
72.		—,,—	31 अ	33 सोरिदभाठ	सोरिदभाठ	न.प.नि. धमतरी	
73.			33 ब	34 गोकुलपुर	गोकुलपुर	न.प.नि. धमतरी	
74.		धमतरी 1	31 ब	35 श्यामतराई	श्यामतराई	श्यामतराई	
75.			32	36 भटगांव	भटगांव	भटगांव	
76.		—,,—			बेन्द्रानवागांव	बेन्द्रानवागांव	
77.		—,,—			नवागांव खुर्द	बेन्द्रानवागांव	
78.		—,,—	33 अ	37 रुद्री	रुद्री	रुद्री	
79.		—,,—	34	38 कोलियारी	कोलियारी	कोलियारी	
80.		—,,—			करेठा	कोलियारी	
81.		—,,—			हरफतराई	शंकरदाह	
82.		—,,—	35	39 अमेठी	अमेठी	अमेठी	
83.		—,,—			कानीडबरी	अमेठी	
84.		—,,—			कलारतराई	कलारतराई	
85.		—,,—			बंजारी	कलारतराई	
86.		—,,—	36	40 खरेंगा	खरेंगा	खरेंगा	
87.		—,,—			दर्री	दर्री	
88.		—,,—			परसुली	परसुली	
89.		—,,—	37	41 सारंगपुरी	सारंगपुरी	सारंगपुरी	
90.		—,,—			नवागांव	नवागांव	
91.		—,,—	38	42 लीलर	लीलर	लीलर	
92.		—,,—			बागोडार	लीलर	
93.		—,,—			भंवरमरा	भंवरमरा	
94.		—,,—			भरारी	भंवरमरा	
95.		—,,—	39	43 जंवरगांव	जंवरगांव	जंवरगांव	
96.		—,,—			अरौद	अरौद	
97.		—,,—	40	44 अछोटा	अछोटा	अछोटा	
98.		—,,—			मथुराडीह	मथुराडीह	
99.		—,,—			तेन्दूकोन्हा	मथुराडीह	
100.		—,,—			भोयना	भोयना	
101.		—,,—	41	45 मुड़पार	मुड़पार	मुड़पार	
102.		—,,—			सकरवारा	मुड़पार	
103.		—,,—			बरारी	बरारी	
104.		—,,—			कोटाभर्री	बरारी	
105.		—,,—	42	46 सोरम	सोरम	सोरम	
106.		—,,—			बेलतरा	सोरम	
107.		—,,—			गंगरेल (डुबान)	गंगरेल	
108.		—,,—			मरादेव	गंगरेल	
109.		—,,—	43	47 बोरिदखुर्द	बोरिदखुर्द	बोरिदखुर्द	
110.		—,,—			कसावाही	कसावाही	
111.		—,,—			मड़वापथरा	कसावाही	
112.		—,,—			तुमराबहार	तुमराबहार	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
113.	धमतरी	धमतरी 1			खिरगीटोला	तुमराबहार	
114.		—,,—			डांगीमांचा	तुमराबहार	
115.		—,,—			विश्रामपुर	तुमराबहार	
116.		—,,—			तुमाबुजुर्ग	तुमराबहार	
117.		—,,—	44	48 चिखली	चिखली	चिखली	
118.		—,,—			माटेगहन	चिखली	
119.		—,,—			तिर्रा	तिर्रा	
120.		—,,—			कोलियारी	तिर्रा	
121.		—,,—	45	49 अकलाडोंगरी	अकलाडोंगरी	अकलाडोंगरी	
122.		—,,—			कोहका	अकलाडोंगरी	
123.		—,,—			कोड़ेगांव रै.	कोड़ेगांव रै.	
124.		—,,—			कोड़ेगांव मा.	कोड़ेगांव रै.	
125.		—,,—			मालगांव डुबान	कोड़ेगांव रै.	
126.		—,,—			सटियारा डुबान	कोड़ेगांव रै.	
127.		—,,—			कोदागहन	कोड़ेगांव रै.	
128.		—,,—			आड़ेकोन्हा	कोड़ेगांव रै.	
129.		—,,—	46	50 मोंगरागहन	मोंगरागहन	मोंगरागहन	
130.		—,,—			भिड़ावर	मोंगरागहन	
131.		—,,—			कोड़ेगांव बी	कोड़ेगांव बी	
132.		—,,—			बारगरी	कोड़ेगांव बी	
133.		—,,—			सिंघोला डुबान	कोड़ेगांव बी	
134.		—,,—			पंडरीपानी म.	कोड़ेगांव बी	
135.		—,,—			पंडरीपानी ज.पा.	कोड़ेगांव बी	
136.		—,,—			कोसमी डुबान	कोड़ेगांव बी	
137.		—,,—	47	51 अरौद	अरौद	अरौद डुबान	
138.		—,,—			बरबांधा	अरौद डुबान	
139.		—,,—			पटेलगुड़ा	अरौद डुबान	
140.		—,,—			पटौद	अरौद डुबान	
141.		—,,—			सिलतरा	अरौद डुबान	
142.		—,,—			उरपोटी	अरौद डुबान	
143.		—,,—			हरफर (डुबान)	अरौद डुबान	
144.		—,,—			किसनपुरी (डुबान)	अरौद डुबान	
145.		—,,—			कांद्री (डुबान)	अरौद डुबान	
146.		—,,—			मोंगरी (डुबान)	अरौद डुबान	
147.		—,,—			कलारबहरा	अरौद डुबान	
148.		—,,—			पहरियाकोन्हा	अरौद डुबान	

सी. आर. प्रसन्ना,
कलेक्टर.

कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर छत्तीसगढ़

बिलासपुर, दिनांक 4 अगस्त 2016

क्रमांक/5036/व.भू.उ.प्र./न.ग्रा.नि./2016.—एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि गौरेला निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किये गये हैं और उसकी प्रति नगर पंचायत गौरेला के कार्यालय भवन, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) गौरेला, जिला-बिलासपुर एवं संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, नया कंपोजिट बिल्डिंग, कलेक्टोरेट परिसर बिलासपुर छ.ग. में दिनांक 11-07-2016 से कार्यालयीन समय के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. निवेश क्षेत्र की सीमाएं निम्न अनुसूची में दी गई है :—

अनुसूची

उत्तर में : ग्राम बेलगहना एवं गिरवर ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम गिरवर, टिकरकला, डुमरिहा, सेमरा, टिकरसानी एवं सारबहरा ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम सारबहरा एवं मडना ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम मडना, अंजनी, गोरखपुर एवं बेलगहना ग्राम की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किए गए भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, नया कंपोजिट बिल्डिंग, कलेक्टोरेट परिसर बिलासपुर छ.ग. को सूचना के छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी भी व्यक्ति के ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व प्राप्त हो, तो संचालक द्वारा विचार किया जावेगा.

निरीक्षण स्थल –

1. कार्यालय नगर पंचायत गौरेला, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
2. कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, नया कम्पोजिट बिल्डिंग, बिलासपुर जिला बिलासपुर (छ.ग.).

No./5036/व.भू.उ.प्र./T&CP/2016.—Notice is hereby given that the existing land use maps for the Gaurella Planning Area has been prepared under sub section (1) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) and a copy there of is available for inspection w.e.f. 11-07-2016 in the Office of the Nagar Panchayat Gaurella, Office of the S.D.O. (Revenue) Gaurella, District-Bilaspur and Office of the Joint Director Town and Country Planning New Composite Building, Collectorate Premises Bilaspur during office hours of working days. The limits of Bilaspur Planning Area are detailed in Schedule given below :—

INDEX

NORTH : Village Belgahna and up to the North limit of Girwar.
EAST : Village Girwar, Tikarkala, Dumariya, Semra, Tikarsani and up to the East limit of Sarbahra.
SOUTH : Village Sarbahra and up to the South limit of Madna.
WEST : Village Madna, Anjani, Gorakhpur and up to the West limit of Belgahna.

If there by any objection or suggestion with respect to the existing land use map so prepared it should be sent in writing to the Joint Director, Town and Country Planning, New Composite Building, Collectorate Premises Bilaspur within a period of Thirty days from the date of publication of the notice in Chhattisgarh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map before the expiry of the specified period above will be considered by the Director.

Inspection Site :—

1. Office of the Nagar Panchayat Gaurella, District Bilaspur (C.G.)
2. Office of the Joint Director Town & Country Planning New Composite Building, Collectorate Premises Bilaspur.

संदीप बांगड़े,
संयुक्त संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 28th July 2016

No. 56/L.G./2016/II-3-10/2005.—Smt. Minakshi Gondaley, District & Sessions Judge, Surajpur is hereby, granted earned leave for 07 days from 24-06-2016 to 30-06-2016 along with permission to leave headquarters after the Court hours of 23-06-2016 till before the Court hours of 01-07-2016.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Gondaley, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 173 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 28th July 2016

No. 57/L.G./2016/II-3-13/2007.—Shri N. D. Tigala, District & Sessions Judge, Raigarh is hereby, granted earned leave for 04 days from 04-07-2016 to 07-07-2016 along with permission to leave headquarters from the morning of 03-07-2016 till the evening of 07-07-2016.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Tigala, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 289 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 28th July 2016

No. 58/L.G./2016/II-3-23/2010.—Shri Shailesh Kumar Tiwari, Judge, Family Court, Surguja at Ambikapur is hereby, granted earned leave for 09 days from 12-07-2016 to 20-07-2016 along with permission to leave headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Tiwari, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 281 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 28th July 2016

No. 59/L.G./2016/II-3-40/2007.—Shri Arvind Kumar Verma, Judge, Commercial Court (District Level), Raipur is hereby, granted earned leave for 02 days on 14-07-2016 & 15-07-2016 along with permission to leave headquarters from 14-07-2016 to 17-07-2016.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Verma, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+13 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 28th July 2016

No. 60/L.G./2016/II-2-16/2014.—Shri G.K. Mishra, District & Sessions Judge, Korba is hereby, granted earned leave for 07 days from 11-06-2016 to 17-06-2016 in continuation of summer vacation along with permission to leave headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Mishra, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 252 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 28th July 2016

No. 61/L.G./2016/II-3-65/2001.—Shri Jagdamba Rai, District & Sessions Judge, Dhamtari is hereby, granted earned leave for 05 days from 11-07-2016 to 15-07-2016 along with permission to leave headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Rai, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 286 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 28th July 2016

No. 62/L.G./2016/II-3-13/2008.—Shri Rajesh Kumar Shrivastava, Special Judge (Atrocities), Durg is hereby, granted earned leave for 04 days from 21-06-2016 to 24-06-2016 along with permission to leave headquarters and earned leave for 03 days from 30-06-2016 to 02-07-2016 along with permission to leave headquarters from the morning of 30-06-2016 till the evening of 03-07-2016.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Shrivastava, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 293 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 28th July 2016

No. 63/L.G./2016/II-3-35/2008.—Shri Sypriel Xess, II Additional Principal Judge, Family Court, Raipur is hereby, granted earned leave for 05 days from 04-07-2016 to 08-07-2016 along with permission to leave headquarters from 03-07-2016 to 08-07-2016.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Xess, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 274 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 28th July 2016

No. 64/L.G./2016/II-2-12/2009.—Shri Ashok Kumar Goyal, Judge, Family Court, Jashpur is hereby, granted earned leave for 05 days from 04-07-2016 to 08-07-2016 along with permission to leave headqurters from 03-07-2016 to 10-07-2016 and earned leave for 03 days from 13-07-2016 to 15-07-2016 along with permission to leave headquarters from 13-07-2016 to 17-07-2016.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Goyal, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+07 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
OMPRAKASH SINGH CHOUHAN, Additional Registrar (ADMN.).